POSTAL REG.NO. RJ/JPC/M-28/2009-11 (RNI. REG. NO. 39658/83) # ग्रा.ग./2011/अंक 07 कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 जुलाई, सी.एस.ओ., आएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 जुलाई, 2011 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

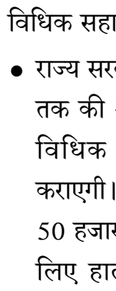

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! आज देश में उच्च स्तर पर लगातार अरबों-खरबों रुपए के भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, इससे देश की व्यवस्था चरमरा गई है। शासन-प्रशासन ठप्प सा हो गया है। जन हित की घोषणाओं व विकास योजनाओं पर ब्रेक सा लगा है।

हालात यहां तक बिगड़ चुके हैं कि अधिकारी हो या कर्मचारी अब कोई काम तक करना नहीं चाहते। जिनको जनता ने बड़े विश्वास के साथ संसद तक भेजा हो वे ही देश के साथ विश्वासघात करें, तो क्या कहा जाएगा?

सरकार कई बार दावा करती रही है कि वह भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है। विदेशों में जमा काले धन को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करने व सशक्त लोकपाल विधेयक बनाने की बात को भी वह मंजूर करती है।

पिछले दिनों महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और हमारे वित्त मंत्री ने एक बार नहीं कई बार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने उदगार व्यक्त किए हैं। लेकिन सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। यह सच्चाई किसी से छिपी नहीं है।

कोई भी राजनीतिक दल हो उनकी इच्छा शक्ति सिर्फ 'अपनी रोटी सेंकने' में है। भ्रष्टाचार के खिलाफ और काला धन वापसी मुद्दे उनके स्वार्थों और निजी हितों पर चोट पहुंचाते हैं।

यही वजह है, सरकार गांधीवादी अन्ना हजारे और बाबा रामदेव द्वारा उठाई जायज मांगों को ठुकराने की कोशिश में लगी है। लेकिन स्पष्टतौर पर ये मुद्दे अब जनता की आवाज बन चुके हैं, जिन्हें ठुकराना आसान नहीं होगा।

कानूनी जानकारी

सालाना एक लाख की आय तो भी मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता

गरीब, निर्धन या असहाय व्यक्ति अपने वाजिब हकों के लिए न्याय पाने से वंचित न रहे। इसके लिए विधिक सहायता को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

- राज्य सरकार अब सालाना एक लाख रुपए तक की आय वालों को भी मुफ्त विधिक सहायता उपलब्ध कराएगी। पहले यह सीमा 50 हजार रुपए थी। इसके लिए हाल ही सरकार ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमों में संशोधन कर दिया है। यह आय सीमा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 (एच) के तहत बढ़ाई गई है।
- इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, बेगार मांगने वाले या मानव तस्करी के शिकार, जातीय प्रताड़ना या हिंसा, प्राकृतिक आपदा के शिकार, औद्योगिक श्रमिक, बंदी एवं मनोरोग के शिकार व्यक्तियों को भी मुफ्त विधिक सहायता मुहैया कराने का प्रावधान है।
- महिलाओं के विवाह सम्बन्धी व दहेज विरोधी कानून, अपहरण, बलात्कार तथा भरण-पोषण भत्ता पाने के मामलों आदि में आमदनी की यह सीमा लागू नहीं होती। उन्हें अधिक आमदनी होने पर भी विधिक सहायता प्रदान की जा सकती है।
- विधिक सहायता के लिए पात्र व्यक्तियों को राज्य के किसी भी न्यायालय में दर्ज होने वाले मामलों में उनके वकील की फीस, कोर्ट फीस, गवाह खर्च, आदि में से जो भी सहायता विधिक सहायता समिति दिलाना उचित समझे दिलाए जाते हैं।

उपभोक्ता फैसले

दुर्लभजी हॉस्पिटल को भारी पड़ी लापरवाही

महारानी फार्म दुर्गापुरा निवासी विकास आर्य ने दुर्लभजी हॉस्पिटल के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग, जयपुर में परिवाद दर्ज कराया। उनके वकील ने आयोग के सामने उनका पक्ष रखते हुए बताया कि विकास अपनी पत्नी को प्रसव काल के दौरान 29 अक्टूबर, 2001 को दिखाने के लिए दुर्लभजी हॉस्पिटल लाए थे। उन्होंने वहां मौजूद डॉक्टर से उनकी सोनोग्राफी करने के लिए कहा तो डॉक्टर ने इनकार कर दिया और हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया।

उनकी पत्नी का प्रसव बिना ऑपरेशन हुआ। लेकिन इस दौरान डॉक्टर और हॉस्पिटल द्वारा लापरवाही बरती गई, जिससे उनकी पत्नी व बच्चे की सही देखभाल नहीं हुई। फलस्वरूप पत्नी व बच्चे का मानसिक विकास अवरुद्ध हो गया। बच्चा अब जीवन पर्यन्त दूसरों पर आश्रित हो गया है। ऐसे में उन्होंने हॉस्पिटल से मुआवजा दिलाने की मांग की।

मामले की सुनवाई के दौरान हॉस्पिटल ने इन आरोपों को गलत बताया। उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने और केस रिकॉर्ड देखने के बाद हॉस्पिटल को लापरवाही बरतने का दोषी माना। आयोग ने दुर्लभजी हॉस्पिटल को 3 लाख 50 हजार रुपए का मुआवजा व 20 हजार रुपए परिवाद खर्च के रूप में चुकाने का आदेश दिया है।

राष्ट्रीय जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम शुरू

हाल ही यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हरियाणा के मेवात जिले के माड़ीखेड़ा गांव से 'राष्ट्रीय जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम' की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को अब सरकारी अस्पतालों में प्रसव के दौरान मुफ्त इलाज मिलेगा। जिसमें मुफ्त प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन, दवाएं, उपयोग की वस्तुएं, जांच, भोजन, रक्त सुविधा घर से सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र तक मुफ्त वाहन आदि सम्मिलित हैं।

इसके अलावा उनके शिशु की देखभाल का जिम्मा भी 30 दिन तक केन्द्र सरकार उठाएगी। जिसमें उपचार, दवाएं, उपयोग की वस्तुएं, जांच आदि सभी सुविधाएं भी मुफ्त प्रदान की जाएगी। यह योजना ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत लागू होगी। देश भर में तैनात 8 लाख आशा कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम में सहयोग दिया जाएगा। केन्द्र सरकार की इस योजना पर प्रति वर्ष करीब 23 हजार करोड़ रुपया खर्च होगा।

पंचायत स्तर पर कानूनी सेवा क्लिनिक

प्रदेश के हर पंचायत स्तर पर लोगों को कानूनी समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव देने, निर्धन व पात्र व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने, नए कानूनों की जानकारी देने और उन्हें न्याय प्राप्ति के अवसर प्रदान करने के मकसद से विधिक सहायता क्लिनिक खोले जाएंगे।

राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस दिलीपसिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अगले दो माह में यह क्लिनिक शुरू हो जाएंगे। उन्होंने बताया है कि हर जिला मुख्यालय पर एडीआर (वैकल्पिक विवाद निराकरण) भवन बनाए जाएंगे।

बुजुर्गों को मिली रेलवे यात्रा में छूट

रेलवे बजट में की गई घोषणा के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को पिछले महीने से रेल किराए में छूट मिलना शुरू हो गया है। अब 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को 30 की बजाय 40 प्रतिशत रियायत मिलेगी।

वरिष्ठ महिलाओं को पूर्व की तरह 50 प्रतिशत रियायत मिलेगी, लेकिन रियायत के लिए न्यूनतम आयु सीमा 2 वर्ष घटा कर 58 वर्ष कर दी गई है। रेल मंत्रालय ने इस नई सुविधा के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।

सरकारी गेहूं फिर पड़ा है खुले में

इस बार फिर राज्य में समर्थन मूल्य पर खरीदा हजारों टन सरकारी गेहूं खुले में पड़ा है। एफसीआई और सहयोगी एजेंसियों के गोदाम ठसाठस भर चुके हैं। कई जगह गेहूं खुले में तिरपाल से ढक कर रखना पड़ रहा है जबकि राज्य में मानसून पूर्व की वर्षा शुरू हो चुकी है।

अलवर, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर सहित और भी कई जिलों में गेहूं खुले में पड़ा है। कई जगह तो गेहूं भीगने भी लगा है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा स्थिति में यह गेहूं आम आदमी तक सुरक्षित पहुंच भी पाएगा या नहीं, यह विश्वास कर पाना मुश्किल है। समय रहते इसे रखने के इंतजाम नहीं किए गए तो खुले में पड़ा गेहूं सड़ सकता है।

जलमणि योजना में बनेंगे टांके

प्रदेश के 300 और उससे अधिक बच्चों की क्षमता वाले स्कूलों के लिए जलमणि योजना शुरू की गई है। योजना के तहत प्रदेश में 1800 स्कूलों में टांके बनाए जा सकेंगे। इनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए भरा जाएगा। टांके में भरा वर्षा जल का बच्चों के पीने के पानी के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।

केन्द्र सरकार के राजीव गांधी पेयजल मिशन के तहत इस योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना में केन्द्र सरकार ने 40 हजार रुपए प्रति स्कूल देने की स्वीकृति दी है, जबकि टांका बनाने में करीब एक लाख रुपए का खर्च आने की संभावना है। बाकी राशि 60 हजार रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। प्रदेश में इस योजना पर जल्दी ही काम शुरू होने की संभावना है।

बीपीएल कार्ड के बदले दे रहे हैं कर्ज

औसत आय से कम आय वालों को सरकार गरीब मानते हुए 'बीपीएल कार्ड' जारी करती है। लेकिन उनके इस कार्ड का लाभ कोई और ही उठा रहा होता है। हाल ही कोटा जिले में ऐसे मामले सामने आए हैं। एक सत्तर वर्षीय विधवा वृद्धा महिला का बीपीएल कार्ड और किसी ने नहीं बल्कि उसके शराबी बेटे ने शराब के खातिर दौ सौ रुपए में गिरवी रख दिया। बताया गया है कि महिला का कार्ड अब एक माह का और राशन उठाने के बाद लौटाया जाएगा।

शहर के वार्ड 50 स्थित राधाविलास पाटनपोल में ऐसे और भी कई गरीब परिवार है, जिनके बीपीएल और राशनकार्ड गिरवी हैं। इस वार्ड के कांग्रेस उपाध्यक्ष अकबर कहते हैं कि यह सब राशन विक्रेता की शह पर होता है। राशन विक्रेता को उसी व्यक्ति को राशन देना चाहिए, जिसका कार्ड हो।

एटीएम में फंसा पैसा 7 दिन में लौटाना होगा

बैंकों के एटीएम में पैसा फंसने से परेशान लोगों को जल्द ही इस समस्या से निजात मिलने वाली है। रिजर्व बैंक ने एटीएम में फंसी राशि को सात दिन में लौटाने का निर्देश देते हुए कहा है कि ऐसा नहीं होने पर उन्हें ग्राहक को 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ति राशि देनी होगी।

रिजर्व बैंक का यह नया निर्देश एक जुलाई 2011 से लागू होगा। यह सामने आया है कि कई बार बैंकों के एटीएम से पैसा निकलता नहीं है, पर ग्राहक के खाते से राशि कट जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के इस नए निर्देश से ग्राहकों को अब इस समस्या के निजात के लिए बैंकों के बार-बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

फिर शुरू होगी स्वजलधारा योजना

जलदाय विभाग ने दो साल पहले बंद हुई स्वजलधारा और सेक्टर रिफॉर्म योजना को दोबारा शुरू करने की तैयारी कर ली है। पहले यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से आमजन की पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए शुरू की गई थी। योजना के तहत ट्यूबवैल और हैण्डपम्प का निर्माण, पेयजल लाइन बिछाने, पम्प हाउस खोलने जैसे कई काम करवाए जाने थे। इसके लिए ग्रामीण विकास समितियों का गठन किया गया था। लेकिन इन योजनाओं में भ्रष्टाचार बढ़ता देख केन्द्र सरकार ने इन्हें बन्द कर दिया था।

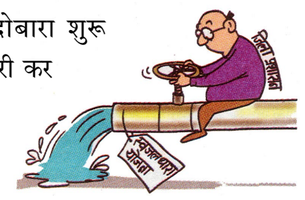

पिछले दिनों राज्य सरकार ने बंद पड़ी स्वजलधारा की करीब 527 योजनाओं को फिर से चालू करने का फैसला किया है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए अब पंचायत स्तर पर काम होगाा

आंगनबाडी-अभी सरकारी नौकरी से दूर

केन्द्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन दोगुना करने की घोषणा की थी। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मासिक मेहनताना 3000 रुपए तथा आंगनबाडी सहायक का मानदेय 1500 रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया था। वित्तमंत्री की इस पहल से देश भर की करीब 22 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को लाभ मिलेगा।

आंगनबाडी कार्यकर्ताओं और सहायकों द्वारा काफी लंबे अर्से से उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारी किए जाने की मांग चल रही है। वित्त मंत्री को आंगनबाडी संचालन के कार्यों व काम के समय को देखते हुए इस वाजिब मांग पर उदारतापूर्वक ध्यान देना चाहिए।

मीटर से छेड़छाड़ करने पर गिरफ्तारी

बिजली मीटर से छेड़खानी कर बिजली चोरी करने वालों की अब खैर नहीं होगी। पुलिस अनुसंधान में मीटर से छेड़खानी और बिजली चोरी का आरोप सिद्ध होते ही दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। न्यायालय द्वारा ही मीटर व बिजली चोरी की दायित्व राशि तय की जाएगी।

हाल ही तीनों डिस्कॉम के लिए इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नए आदेशों के तहत किसी भी दोषी व्यक्ति से सीधे बतौर दायित्व राशि व जुर्माना नहीं वसूला जाएगा।

आपकी चिट्ठी मिली

ग्राम गदर में 'पानी की अनदेखी, मतलब बहुत बड़ा नुकसान' पढ़ा। भूजल के अधांधुध दोहन को रोकने के लिए कानून लागू करना अति आवश्यक है।

हर पंचायत स्तर पर जल उपभोक्ता समितियों का गठन किया जाना चाहिए। यह समितियां पानी की बूंद-बूंद बचाने, खेतों में ड्रिप व स्प्रिंकलर प्रणाली से सिंचाई करने, परम्परागत जल स्त्रोतों का पुनरोद्धार व नवीन जल स्त्रोतों के निर्माण, वर्षा जल को जमीन के भीतर पहुंचाने के लिए भूजल पुनर्भरण तकनीकों को बढ़ावा देने और जल प्रबंधन में सहभागिता जुटाने जैसे तौर-तरीकों के लिए ग्रामीण समुदाय में अलख जगाने में जुटें।

वह ग्रामीणों व किसान भाईयों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित कराने में सहयोग करे। सरकार भी इन समितियों को सहयोग दें, तो प्रदेश में जलसंकट को कम किया जा सकता है।

-गिरिराज प्रसाद वैष्णव, नागौर

देश में बढ़ता भ्रष्टाचार राष्ट्रीय शर्म का मुद्दा है। पिछले दिनों भ्रष्टाचार के कई घोटाले सामने आए, जो किसी भी भारतीय को गौरवान्वित नहीं करते। आम व्यक्ति भ्रष्टाचार से आहत है।

राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील ने कहा है कि भ्रष्टाचार हमारे विकास की जड़ें खोद रहा है। प्रधान मंत्री खुद देश में व्याप्त भ्रष्टाचार से शर्मसार हैं। वह यह भी मानते हैं कि इससे हमारी छवि विदेशों में धूमिल हो रही है।

वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने अपने बजट भाषण में कालेधन को विदेशों से वापस लाने का जिक्र किया। यह ही नहीं उन्होंने तो भ्रष्टाचार और नौकरशाही पर अंकुश लगाने की इच्छाशक्ति भी जाहिर की। सबसे बड़ी कठिनाई भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त करने की है। लेकिन हो क्या रहा है..? जनता सब समझ रही है।

-मनीषा जैन, किशनगढ़

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट **राजकुमार त्रिवेदी**, 'कद्दू' जयपुर